दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.09.2018 का कार्यवृत्त

स्थानः– कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष
समय पूर्वान्ह 11.00 बजे
उपस्थितिः–

1. प्रो0 वी0के0 सिंह, कुलपति, दी0द0उ0गो0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर – अध्यक्ष
2. अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर (प्रमुख, सचिव वित्त के प्रतिनिधि) –सदस्य
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा) – सदस्य
4. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – सदस्य
5. कुलसचिव, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – सदस्य
6. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – सचिव

कार्यवृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.09.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.09.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

2. वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.07.2018 के बिन्दु सं0 10 पर संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा 2018–19 के बजट संशोधन हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.07.2018 के बिन्दु सं0 10 पर संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा 2018–19 के बजट संशोधन हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या पर निम्नवत संस्तुति की गयी–पूर्व के निर्णय के अनुसार

(i) समन्वयक को रू0 40,000=00 एवं सह–समन्वयक को रू0 35,000=00 एकमुश्त मानदेय समस्त प्रवेश परीक्षाओं के लिए तथा कर्मचारियों को बजट में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी इसके साथ ही प्रवेश (काउन्सिलिंग) हेतु कोई मानदेय न दिये जाने की संस्तुति की गयी।

(ii) समस्त अधिकारियों कुलपति जी, वित्त अधिकारी, कुलसचिव, परीक्षा नियन्त्रक को कोई मानदेय नहीं देय होगा।

(iii) समिति द्वारा प्रस्तावित बजट के बिन्दु सं0 3 में उपरोक्तानुसार संशोधित करते हुए बजट के अन्य मदों के बजट प्राविधान को स्वीकार कर लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(iv) समिति द्वारा प्रस्तावित दरों में परिवर्तन को आगामी वित्तीय वर्ष से लागू करने की संस्तुति की गयी। केवल इस सत्र की 2018–19 स्नातक प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित दरों के आधार पर भुगतान की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

3. डॉ0 विजय चहल, सचिव, क्रीड़ा परिषद के पत्र दिनांक 17.09.2018 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में एक्सरसाइज एण्ड फिटनेश सेण्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सचिव के क्रय प्रस्ताव को स्टेडियम के भवन को हैण्ड ओवर होने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया अपना कर एक्सरसाइज एण्ड फिटनेश सेण्टर हेतु सामानों के क्रय किये जाने की संस्तुति की गयी।

4. कम्प्यूटर साइन्स विभाग में शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कर्मचारियों के पद सृजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विचार।

कम्प्यूटर साइन्स विभाग के अन्तर्गत संचालित स्ववित्तपोषित बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित कर्मचारियों के पद सृजित किये जाने की संस्तुति की गयी–

1. कार्यालय सहायक – 1 पद
2. प्रयोगशाला सहायक – 1 पद
3. लैब वियरर – 1 पद

उपरोक्त पदों पर चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाते हुए किये जाने की संस्तुति की गयी।

5. सचिव एवं अध्यक्ष, क्रीड़ा परिषद के पत्र दिनांक 02.08.2018 द्वारा क्रीड़ा परिषद वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत विश्वविद्यालय वित्त समिति में पारित कराने के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त क्रीड़ा परिषद वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित बजट वर्ष 2018–19 को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

6. श्री विवेक शुक्ला, बी0ए0 तृतीय वर्ष के रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विषय की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा को निःशुल्क कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।

श्री विवेक शुक्ला, बी0ए0, तृतीय वर्ष रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन 33वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में दिनांक 16–20 फरवरी, 2018 में प्रतिभाग करने के फलस्वरूप वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित न हो सके थे, अतएव विशेष परिस्थिति में उनकी छुटी हुई प्रायोगिक परीक्षा निःशुल्क कराये जाने की संस्तुति वित्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी।

7. विश्वविद्यालय सामान्य निधि के वार्षिक बजट सत्र 2018–19 में पुनर्विनियोग पर विचार।

विश्वविद्यालय सामान्य निधि के वार्षिक बजट सत्र 2018–19 के निम्नलिखित मदों में विश्वविद्यालय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय कार्यहित में पुनर्विनियोग करते हुए उक्त मदों में बजट सीमा में निम्नवत् वृद्धि किये जाने की संस्तुति वित्त समिति द्वारा की गयी। उक्त पुनर्विनियोग वार्षिक बजट के निर्माण/रख–रखाव मद के वचत से किया गया।

क्र0सं0	मद	बजट प्राविधान	बजट में वृद्धि	पुर्नविनियोग के उपरान्त संशोधित बजट प्राविधान
1.	जलपान	25,00,000=00	10,00,000=00	35,00,000=00
2.	फर्नीचर	50,00,000=00	50,00,000=00	1,00,00,000=00
3.	सदस्यता शुल्क	5,00,000=00	5,00,000=00	10,00,000=00
4.	डाक टिकट	15,00,000=00	10,00,000=00	25,00,000=00
5.	मजदूरी	5,00,00,000=00	1,00,00,000=00	6,00,00,000=00
6.	बैंक सराधन	18,00,000=00	5,00,000=00	23,00,000=00
7.	मानदेय	5,00,000=00	3,00,000=00	8,00,000=00

8. शिक्षकों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त आवासित होने के फलस्वरूप पैनल रेन्ट के निर्धारण पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शिक्षकों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त आवासित होने के फलस्वरूप पैनल रेन्ट के निर्धारण हेतु इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेश द्वारा निर्धारित दर की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

9. विश्वविद्यालय में कार्यरत विधि सलाहकारों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत विधि सलाहकारों के प्राप्त मानदेय रू0 15,000=00 में रू0 5,000=00 की वृद्धि किये जाने फलस्वरूप रू0 20,000=00 किये जाने की संस्तुति की गयी।

---3

10. विश्वविद्यालय के मा0 उच्च न्यायालय में वादों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के विविध लीगल चार्जेज के पुनरीक्षण पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय में वादों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव न होने के कारण पूर्व निर्धारित दरों पर ही भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

11. प्रो0 हिमांशु चतुर्वेदी, प्रभारी, अतिथि गृह के पत्र दिनांक 29.08.2018 द्वारा गृह के किराये में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय अतिथि गृह के पूर्णरूप से तैयार होने के उपरान्त ही किराये में वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी। मे0 अन्नपूर्णा कैटर्स एवं डेकोरेटर्स से अतिथि गृह के किचन सुविधा में बिजली, पानी एवं स्थान उपलब्ध कराये जाने के निमित्त रू0 3,000=00 प्रतिमाह की दर से किराया निर्धारित किया गया। उक्त धनराशि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में विश्वविद्यालय के खाते में जमा करके रसीद अतिथि गृह कार्यालय को कैटर्स द्वारा उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गयी।

12. जेम पोर्टल से खरीददारी किये जाने हेतु शासन के निर्देशानुसार बैंक में खाता खोले जाने के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जेम पोर्टल के माध्यम से खरीददारी किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित बैंक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में खाता खोले जाने की संस्तुति की गयी।

13. विश्वविद्यालय में रूसा परियोजना हेतु विश्वविद्यालय अंश रू0 2.90 करोड़ वहन करने तथा सामान्य निधि बजट में उक्त के निमित्त मद निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विशेष सचिव एवं निदेशक, रूसा, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ के शासनादेश सं0 85/सत्तर–3–2014–7(125)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2014 के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र सं0 वी0ब0सि0पू0वि0वि0/यु0जी0सी0/2014/6921 दिनांक 07.03.2014 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये गये बचनवद्धता के अनुपालन में रूसा परियोजना हेतु धनराशि रू0 2.90 करोड़ विश्वविद्यालय अंश सामान्य निधि से वहन किये जाने की संस्तुति की गयी तथा उक्त के निमित्त विश्वविद्यालय सामान्य निधि बजट सत्र 2018–19 में पुनर्विनियोग के अन्तर्गत रूसा के लिए विश्वविद्यालय अंशदान मद निर्धारित करते हुए रू0 1.50 करोड़ का बजट प्राविधान किये जाने पर सहमति दी गयी। रूसा के लिए विश्वविद्यालय अंशदान की अवशेष धनराशि रू0 1.40 करोड़ के व्यय भार का वहन सामान्य निधि के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्षों में किया जा सकेगा।

14. पूर्वान्चल संग्रहालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यय के लिये सामान्य निधि के बजट में मद निर्धारित एवं बजट प्राविधान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

पूर्वांचल संग्रहालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यय के लिए सामान्य निधि के बजट वर्ष 2018–19 में पुनर्विनियोग के अन्तर्गत 'पूर्वांचल संग्रहालय पर व्यय' मद निर्धारित करते हुए उक्त मद में रू0 2,00,000=00 (रू0 दो लाख मात्र) का बजट प्राविधान किये जाने की वित्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी।

15. विश्वविद्यालय के विभिन्न निधियों से सम्बन्धित खातों को बन्द कर अवशेष धनराशि को सामान्य निधि में स्थानान्तरित करने तथा सामान्य निधि में उक्त प्रयोजनों हेतु मद निर्धारण व बजट प्राविधान किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में कुशल वित्तीय संचालन के लिए निम्नलिखित निधियों के खातों तथा अन्य वैसे खाते जो चलन में नहीं है, बन्द करते हुए उनके अवशेष धनराशि को सामान्य निधि में जमा करने की सैद्धान्तिक सहमति बनी तथा वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सामान्य निधि के बजट वर्ष 2019–20 में उक्त से सम्बन्धित मदों का निर्धारण करते हुए बजट प्राविधान किया जायेगा।

16. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

1. कुलाधिपति महोदय के निर्देश में मा0 कुलाधिपति जी, विशिष्ट अतिथि, कार्यपरिषद तथा विद्यापरिषद कि सदस्यों के लिए ड्रेस कोड तैयार कराने के सम्बन्ध में विचार।

   कुलाधिपति महोदय के निर्देश के क्रम में वित्त समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी कि 37वें दीक्षान्त समारोह के लिए मा0 कुलाधिपति जी, विशिष्ट अतिथि, कार्यपरिषद तथा विद्यापरिषद कि सदस्यों के लिए क्रीम कलर का सदरी (सूट) तथा महिला सदस्यों के लिए क्रीम कलर की साड़ी (लाल बार्डर के साथ) विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आने वाले समस्त व्यय भार का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

2. कुलपति जी के आदेश दिनांक 28.07.2018 के अनुपालन में विश्वविद्यालय सौन्दर्यीकरण हेतु आउटसोर्सिग के माध्यम से 12 व्यक्तियों को तीन माह तक सफाई का कार्य कराने के सम्बन्ध में विचार।

   कुलपति जी के आदेश दिनांक 28.07.2018 के क्रम में दीक्षान्त समारोह को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर के सौन्दर्यीकरण हेतु आउटसोसिंग के आधार पर एजेन्सी, जे0जे0जे0 इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा0लि0, गोरखपुर के माध्यम से 12 व्यक्तियों से कार्य लिए जाने से सम्बन्धित कार्यादेश सं0 7426/साप्र/2018 दिनांक 02.08.2018 से वित्त समिति अवगत हुई तथा उक्त कार्य हेतु 12 व्यक्तियों से मात्र 3 माह तक कार्य लिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,गोरखपुर
(प्रमुख सविच वित्त के प्रतिनिधि)
सदस्य

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
(प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

<u>वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.07.2018 का कार्यवृत्त</u>

स्थानः— कुलपति आवास
समय अपरान्ह 2.30 बजे

उपस्थितिः—

1. प्रो0 वी0के0सिंह, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर — अध्यक्ष
2. अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन,गोरखपरु —सदस्य
(प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)
3 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,गोरखपुर — सदस्य
(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा)
4. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सदस्य
5. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सचिव

<u>कार्यवृत्त</u>

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.03.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.03.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

2. अध्यक्ष,व्यवसाय प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 26.5.2018 में उल्लिखित बी0बी0ए0पाठ्यक्रम के छठें समेस्टर की समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अन्तर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट/डिजर्टेशन के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार के लिये वाह्य तथा आन्तरिक परीक्षक के पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार।

अध्यक्ष,व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नवत है—

(i) प्रोजेक्ट का मूल्यांकन रू0 40.00 प्रति रिपोर्ट

(ii) प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वाइबा रू0 40.00 प्रति रिपोर्ट

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति प्रदान की गयी।

3. विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग के अवर अभियन्ता (सिविल) के पत्र दिनांक शून्य द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कराये जा रहे सिविल/विद्युत सम्बन्धी निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण की कोई धनराशि निर्धारित नहीं है, जिसे निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार।

विश्वविद्यालय के अवर अभियन्ता सिविल के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के पंजीकृत ठेकेदारों (सिविल/विद्युत) के नवीनीकरण शुल्क के रूप में रू0 2500/—(रू0 दो हजार पॉच सौ) मात्र निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कर्मचारियों को देय मानदेय के निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण एवं अन्य विभागों मे सातवें वेतनमान के आधार पर मानदेय देने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अधिष्ठाता छात्रकल्याण एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों के मानदेय निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर निम्नवत संस्तुति की गयी—

(क) तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय पूरे वर्ष में एक बार के लिये रू0 25000/—(रू0पचीस हजार) मात्र देय होगा।

(ख) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय पूरे वर्ष में एक बार के लिये रू0 15000/—(रू0 पन्द्रह हजार) मात्र देय होगा।

उपरोक्त भुगतान नैत्यिक कार्य से पृथक कार्य करने पर एवं कार्यालय अवधि के अतिरिक्त समय में कार्य सम्पादन की दशा में कुलपति की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रमाणन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा रू0 60,000/—(रू0 साठ हजार) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 10/07/2018 में अध्यक्ष के अनुमति से बिन्दु संख्या (1) में महाविद्यालयो में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों के प्रवेश के पश्चात् शेष बची सीटों पर प्रवेश के सम्बन्ध में पंजीकरण शुल्क लेने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2018–19 में आनलाईन आवेदन नहीं किया है, उनसे महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के निमित्त सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों से रू0 100/–(रू0एक सौ)मात्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से रू0 50/– (रू0पचास) मात्र प्रति छात्र की दर से लिये जाने की संस्तुति की गयी। जिन छात्रों ने पूर्व में प्रवेश हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2018–19 के लिये आनलाइन आवेदन किया है, उन्हें पोर्टल पर पुनः आवेदन /पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

6. विश्वविद्यालय में सुरक्षा हेतु लगाये गये उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की सेवाओं को सेवा प्रदाता एजेन्सी के रूप में कार्य अवधि बढ़ाने से सम्बन्धित कुलसचिव के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की सुरक्षा में लगाये गये उ0प्र0पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड का कार्य काल कुलसचिव के प्रस्ताव के अनुसार बढ़ाये जाने एवं उक्त फर्म के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार सक्षम अधिकारी(मा0कुलपति जी) की स्वीकृति प्राप्त कर शासनादेश द्वारा बढ़ी दर को लागू किये जाने की संस्तुति की गयी। शासनादेश द्वारा दरों में वृद्धि होने पर वित्त समिति में बार–बार प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

7. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यरत श्री प्रवीण एव अन्य के आवेदन पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय विश्वविद्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों की भाँति तृतीय श्रेणी कर्मी को रू010500/–(रू0दस हजार पॉच सौ) मात्र एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मी को आउटसोर्सिंग की व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के बराबर भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

8 . प्रो0मालविका श्रीवास्तव समन्यवक औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग के पत्र दिनांक 20/03/2018 पर विचार ।

वित्त समिति द्वारा प्रो0 मालविका श्रीवास्तव, समन्वयक औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त विभाग में दो खाते प्रथम इण्डस्ट्रियल माइक्रोबायोलोजी खाता संख्या–20189225180 तथा द्वितीय एम0एस–सी0माइक्रोबायोलोजी खाता संख्या–50176334893 संचालित है जिसमें से प्रथम इण्डस्ट्रियल माइक्रोबायोलोजी खाता संख्या–20189225180 जो चालू खाता (करेन्ट एकाउन्ट) है, उसको बचत खाता में परिवर्तित कर उसका संचालन जारी रखनें तदुपरान्त द्वितीय एम0एस–सी0 माइक्रोबायोलोजी खाता संख्या–50176334893 को बन्द कर उसमें अवशेष धनराशि को प्रथम इण्डस्ट्रियल माइक्रोबायोलोजी खाता संख्या–20189225180 में स्थानान्तरित करने की संस्तुति की गयी।

9. विश्वविद्यालय में अस्थाई डिग्री के शुल्क वृद्धि पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय अस्थाई प्रमाण–पत्र (प्रोविजनल डिग्री) निर्गत करने का शुल्क रू0 100/–(एक सौ रूपया) से बढ़ाकर रू0 200/–(दो सौ रूपये) किये जाने की संस्तुति की गयी।

-- 3

10. संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2018–19 में अनुमानित छात्रों के आवेदन प्राप्त न होने के कारण संशोधित बजट पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा–2018–19 के बजट में संशोधन हेतु एक समिति के गठन किये जाने तथा समिति की रिपोर्ट आने के उपरान्त मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी। समिति के निम्नवत सदस्य होंगे–

1. प्रो0 अजेय कुमार गुप्त

2. प्रो0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव

3. श्री पी0एन0सिंह, लेखाधिकारी

11. श्री शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय के पत्र दिनांक 28/06/2018 पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा श्री शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय,छात्र विधि विभाग के पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विश्वविद्यालय में ऐसे कार्य के लिए बजट प्राविधान न होने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

12. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।

(i) प्रो0 हिमांशु चतुर्वेदी प्रभारी अतिथि गृह के पत्र दिनांक 16.07.2018 द्वारा एकेडमिक स्टाफ कालेज अतिथि गृह की पूर्ण मरम्मत हेतु रू0 10 लाख स्वीकृत प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा एकेडमिक स्टाफ कालेज अतिथिगृह के मरम्मत कार्य को कराने हेतु विस्तृत आगणन तैयार कर विकास समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने की संस्तुति की गयी।

(ii) डा0 ए0के0दीक्षित समन्वयक,प्रौढ़,सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 06.04.2018 द्वारा एन0ए0ई0पी0 खाते में उपलब्ध धनराशि से विभाग के लिए फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एन0ए0ई0पी0खाते में उपलब्ध धनराशि को सामान्य निधि खाते में स्थानान्तरित करते हुए क्रय सम्बन्धी अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

(iii) कैप्टन प्रो0 विनीता पाठक, 5/15 यू0पी0 गर्ल्स बटालियन एन0सी0सी0 दी0 द0 उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.04.2018 द्वारा कार्यालयी कार्य एवं भवन के दैनिक साफ– सफाई हेतु आउटसोर्सिंग से दो व्यक्तियों की मांग किये जाने पर कुलसचिव के प्रस्ताव दिनांक 09.07.2018 पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष यदि कोई रिक्त पद उपलब्ध हो तो 5/15 यू0पी0गर्ल्स बटालियन एन0सी0सी0 दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर को विश्वविद्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गयी।

(iv) विश्वविद्यालय कर्मचारीगण के पत्र दिनांक 21.03.2018 द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कर्मचारी पाल्यों का अतिरिक्त शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

--4

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के पाल्यों से स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण और पोषणीय न होने के कारण अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(v) प्रो0संजयबैजल,समन्वयक,पुरातन छात्र परिषद, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपरु के पत्र दिनांक 17.07.2018 द्वारा पुरातन छात्र परिषद कार्यालय हेतु रू01000.00(रू0दस हजार)मात्र स्थाई अग्रिम दिये जाने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा समन्वयक के प्रस्ताव पर विचार किया गया, विचारोपरान्त रू0 10000.00 (रू0दस हजार) मात्र स्थाई अग्रिम दिये जाने की संस्तुति की गयी।

(vi) विश्वविद्यालय में विगत पॉच वर्षों के मानदेय/पारिश्रमिक के भुगतान का स्थानीय निधि लेखा समवर्ती सम्परीक्षा विभाग से आडिट कराने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विगत पॉच वर्षों में भुगतान किये गये मानदेय/पारिश्रमिक का आडिट समवर्ती सम्परीक्षा विभाग से प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने की संस्तुति की गयी।

(vii) विश्वविद्यालय के अगले तीन वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 खाते का आडिट कराने के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अगले तीन वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 खाते का आडिट समवर्ती सम्परीक्षा विभाग से कराये जाने की संस्तुति की गयी जिससे सेवा निवृत्ति के समय इन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

अपर निदेशक कोषागार एवंपेंशन,गोरखपुर (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) सदस्य	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) सदस्य
परीक्षा नियन्त्रक सदस्य	वित्त अधिकारी सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.03.2018 का कार्यवृत्त

स्थानः— कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष
समय—अपरान्ह् 3.30 बजे

उपस्थितिः—

1. प्रो0 वी0के0सिंह, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर — अध्यक्ष
2. अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) — सदस्य
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) — सदस्य
4. परीक्षा नियन्त्रक, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर — सदस्य
5. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर — सचिव

कार्यवृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
   सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।
2. विश्वविद्यालय के बजट प्रस्ताव सत्र 2018—19 पर विचार।
   सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2018—19 के बजट प्रस्ताव को आंशिक संशोधनों के साथ पारित किए जाने की संस्तुति की गयी।
3. पर्यावरण विज्ञान विभाग के बजट प्रस्ताव सत्र 2018—19 पर विचार।
   विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पर्यावरण विभाग के बजट प्रस्ताव सत्र 2018—19 को सम्यक विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ पारित किए जाने की संस्तुति की गयी कि अद्यावधिक जारी शासनादेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय को देय अंश 40% को घटाकर 20% अनुमन्य करते हुए मदवार आबंटन आवश्यकतानुसार कर लिया जाय।
4. औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग की एम0 एस—सी0 माइक्रोबायोलाजी सत्र 2017—18 के प्रस्तावित बजट पर विचार।
   सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग की एम0एस—सी0 माइक्रोबायोलाजी विभाग के बजट प्रस्ताव सत्र 2017—18 को कार्योत्तर अनुमोदन किये जाने की संस्तुति की गयी।
5. परीक्षा नियन्त्रक के प्रस्ताव दिनांक 20.03.2018 द्वारा राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के पारिश्रमिक दरों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में विचार।
   वित्त समिति द्वारा परीक्षा नियन्त्रक के पत्र दिनांक 20.03.2018 पर विचार किया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त एक औचित्य पूर्ण प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।
6. श्री बी0डी0 पाण्डेय, विश्वविद्यालय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 11.01.2018 द्वारा विभिन्न तरह के कार्यो के शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन की टीप दिनांक 29.01.2018 पर विचार।

-- 2 --

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में नियुक्त उड़ाका दल के सदस्यों को रिफ्रेशमेंट के निमित्त रू0 25=00 (रू0 पच्चीस) के स्थान पर रू0 50=00 (रू0 पचास) देय होगा।

(ग) विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के नोडल केन्द्रो पर दो सहायक नोडल अधिकारी पूर्व व्यवस्था की भाँति कार्यरत होगे तथा उन्हें नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा।

13. दिनांक 29.01.2018 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त के विन्दु सं0 15 पर पुनर्विचार क्योकि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के पत्र को त्रुटिपूर्ण ढंग से वित्त समिति में प्रस्तुत किया गया था।
प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त स्ववित्तपोषित योजना से सम्बन्धित शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यहित एवं आवश्यकता के अनुरूप मानदेय पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाने हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रशासन विभाग द्वारा तैयार कराकर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति वित्त समिति द्वारा की गयी।

14. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 20.03.2018 द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायको के वेतन विसंगति के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के वेतन विसंगति को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन विभाग से उक्त के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गयी।

15. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।

1. (क) अध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग के पत्र दिनांक 27.03.2018 जिसमें विभाग की प्रयोगशाला के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्राविधान रू0 8,00,000=00 को बढ़ाकर रू0 20,00,000=00 किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है, पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रसायन शास्त्र विभाग के प्रयोगशाला मद हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्राविधान को रू0 8,00,000=00 को बढ़ाकर रू0 10,00,000=00 किये जाने की संस्तुति की गयी।

(ख) अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग के पत्र दिनांक 27.03.2018 द्वारा रसायन शास्त्र विभाग के व्याख्यान कक्ष के मरम्मत कार्य से सम्बन्धित है, जो विकास समिति द्वारा स्वीकृत है पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विकास समिति की बैठक दिनांक 04.12.2013 के कार्यवृत्त के विन्दु सं0 7 (व) में लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गयी।

(ग) अध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग के पत्र दिनांक 27.03.2018 द्वारा रसायन शास्त्र विभाग के कम्प्यूटर इन्फार्मेटिक्स प्रयोगशाला के संवर्धन/उच्चीकृत किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कराकर रूसा (RUSA) को प्रेषित किए जाने की संस्तुति की गयी।

2. विश्वविद्यालय में चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित चयन समिति के वाह्य सदस्यों (एक्सपर्ट) के मानदेय वृद्धि पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा चयन समिति में भाग लेने वाले वाह्य सदस्यों को न्यूनतम मानदेय रू0 5,000=00 (रू0 पॉच हजार) दिये जाने की संस्तुति की गयी। यदि कोई वाह्य सदस्य एक दिन से ज्यादा चयन प्रक्रिया में भाग लेते है तो उन्हें उक्त के अतिरिक्त रू0 1,000=00 (रू0 एक हजार) प्रतिदिन की दर से मानदेय देय होगा।

---4---

3. दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन/पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के कार्य निष्पादन हेतु नियमित कर्मचारी से कार्य लिये जाने एवं अन्य पाठ्यक्रमों की भॉति उसे अतिरिक्त मानदेय तृतीय श्रेणी को रू0 1000=00 (रू0 एक हजार) तथा चतुर्थ श्रेणी को रू0 500=00 (रू0 पॉच सौ) मात्र प्रतिमाह दिये जाने की संस्तुति की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर
(प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
(प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018 का कार्यवृत्त

स्थानः— कुलपति कान्फेन्स कक्ष
समय अपरान्ह 3.30 बजे

उपस्थितिः—

1. प्रो0 वी0के0सिंह, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर — अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) — सदस्य
3. कुलसचिव, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर — सदस्य
4. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सदस्य
5. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सचिव

कार्यवृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.08.2017 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.08.2017 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

2. विश्वविद्यालय के 'हेल्थ सेण्टर' में नियुक्त अंशकालिक चिकित्सकों के मानदेय वृद्धि पर विचार।
सम्यक विचारोंपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत अंशकालिक चिकित्सकों को रू0 30,000/— (रू0 तीस हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किए जाने की संस्तुति की गयी।

3. परीक्षा नियन्त्रक के पत्र दिनांक 10.12.2017 द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 की बैठक में वित्त समिति को संदर्भित कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 14 एवं अध्यक्ष की अनुमति से विन्दु सं0 03 जो विश्वविद्यालय परीक्षा से सम्बन्धित मानदेय/पारिश्रमिक वृद्धि से सम्बन्धित है, पर विचार।

(क) वित्त समिति द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 के कार्यवृत्त के विन्दु सं0 14 पर लिए गये निर्णय 'वार्षिक परीक्षा में परीक्षकों/मूल्यांकन समन्वयकों एवं सह समन्वयकों द्वारा मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा में निर्धारित देय धनराशि की सीमा रू0 40,000=00 (रूपये चालीस हजार मात्र) से बढ़ाकर रू0 70,000=00 (रूपये सत्तर हजार मात्र) किए जाने पर विचार किया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त यह संस्तुति की गयी कि चूकि उक्त दरें शासन द्वारा निर्धारित होती है अतएवं उक्त के सम्बन्ध में औचित्य पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय।

(ख) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 के कार्यवृत्त में अध्यक्ष की अनुमति से विन्दु सं—3 पर अंकित निर्णय—प्रायोगिक परीक्षा के समान स्नातक एवं परास्नातक की न्यूनतम दर पर किसी प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या कम रहने पर भी सम्मानजनक पारिश्रमिक देने के प्रस्ताव के साथ ही प्रकरण को वित्त समिति को संदर्भित किये गये प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त दरें शासन द्वारा निर्धारित होने के कारण इस सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाय।

4. विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क की वृद्धि पर विचार।
वित्त समिति द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा सत्र 2018—19 के संचालन से सम्बन्धित समन्वयक द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार किया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व मे निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क— सामान्य/ओ0बी0सी0 हेतु रू0 750/— तथा अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु रू0 400/— लिए जाने तथा उक्त बजट प्राविधान को तदनुसार संशोधन के साथ अनुमोदित करते हुए स्वीकृत करने की संस्तुति की गयी।

--2

5. विश्वविद्यालय बजट वर्ष 2017–18 की बजट की समीक्षा के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के बजट वर्ष 2017–18 पर विचार किया गया तथा विश्वविद्यालय कार्यहित के दृष्टिगत पुर्नविनियोग करते हुए मद सं0 2 (व) (कार्यालय व्यय के उपमद विविध व्यय) के वजट प्राविधान रू0 50,00,000=00 (रू0 पचास लाख मात्र) को बढ़ाकर रू0 65,00,000=00 (रू0 पैसठ लाख मात्र) तथा मद सं0 3(I)(र) (परीक्षा संचालन मद के उपमद–विविध व्यय) के बजट प्राविधान रू0 75,00,000(रू0 पचहत्तर लाख) को बढ़ाकर रू0 1,00,00,000=00 (रू0 एक करोड़) किये जाने की संस्तुति की गयी।

6. विश्वविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की निर्धारित शुल्क संरचना की समीक्षा एव शुल्कों में वृद्धि पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं की शुल्क संरचना एवं शुल्को में वृद्धि पर विचार के लिए निम्नवत् एक समिति के गठन किये जाने की संस्तुति की गयी–

1. प्रो0 जितेन्द्र मिश्र, अधिष्ठाता, विधि संकाय – संयोजक
2. प्रो0 अवधेश कुमार तिवारी – सदस्य
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण – सदस्य
4. परीक्षा नियन्त्रक – सदस्य
5. लेखाधिकारी – सदस्य

समिति अन्य विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना का सम्यक अध्ययन करते हुए अपनी आख्या वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

7. प्रो0 हिमांशु चतुर्वेदी, प्रभारी अतिथि गृह के पत्र दिनांक 17.01.2018 द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचारः–

(क) अतिथि गृह के किराये में वृद्धि पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त प्रो0 हिमान्शु चतुर्वेदी प्रभारी, अतिथि गृह के पत्र दिनांक 17.01.2018 द्वारा अतिथि गृह के किराये में वृद्धि के प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी, जो निम्नवत् है–

	पुरानी दरें	नई निर्धारित दरें
<u>शिवम का वी0वी0आई0पी0सूट (201)</u>	–रू0 600/–प्रति 24 घण्टे	रू0 800/– प्रति 24 घण्टे
<u>अतिथि–गृह के वी0आई0 पी0 कक्ष (101, 102)</u>		
1. विश्वविद्यालय कार्य के लिए	–रू0 400/–प्रति 24 घण्टे	रू0 400/– प्रति 24 घण्टे
2. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निजी कार्य हेतु	–रू0 500/–प्रति 24 घण्टे	रू0 700/– प्रति 24 घण्टे
3. विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत संस्तुति पर वाह्य व्यक्तियों के लिए	–रू0 600/–प्रति 24 घण्टे	रू0 800/– प्रति 24 घण्टे
<u>ए0सी0युक्त कक्ष (जाड़े में हॉट ब्लोवर)</u>		
1. विश्वविद्यालय कार्य के लिए	–रू0 300/–प्रति 24 घण्टे	रू0 300/– प्रति 24 घण्टे
2. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निजी कार्य हेतु	–रू0 400/–प्रति 24 घण्टे	रू0 500/– प्रति 24 घण्टे
3. विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत संस्तुति पर वाह्य व्यक्तियों के लिए	–रू0 500/–प्रति 24 घण्टे	रू0 600/– प्रति 24 घण्टे
<u>कूलर युक्त कक्ष</u>		
1. विश्वविद्यालय कार्य के लिए	–रू0 200/–प्रति 24 घण्टे	रू0 200/– प्रति 24 घण्टे
2. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निजी कार्य हेतु	–रू0 300/–प्रति 24 घण्टे	रू0 400/– प्रति 24 घण्टे
3. विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत संस्तुति पर वाह्य व्यक्तियों के लिए	–रू0 400/–प्रति 24 घण्टे	रू0 600/– प्रति 24 घण्टे

--3

डारमेट्री

1. विश्वविद्यालय कार्य के लिए	–रू0 75/–प्रति 24 घण्टे	रू0 75/– प्रति 24 घण्टे
2. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निजी कार्य हेतु	–रू0 100/–प्रति 24 घण्टे	रू0 150/– प्रति 24 घण्टे
3. विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत संस्तुति पर वाह्य व्यक्तियों के लिए	–रू0 150/–प्रति 24 घण्टे	रू0 200/– प्रति 24 घण्टे
सम्बद्ध महाविद्यालयों के साक्षात्कार हेतु	–रू0 2000/–प्रति 8 घण्टे	रू0 3000/–प्रति 8 घण्टे

(ख) अतिथि गृह हेतु अलग से खाता खोले जाने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा अतिथिगृह हेतु पृथक से खाता खोले जाने के प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण न होने के फलस्वरूप अस्वीकार करते हुए यह संस्तुति की गयी कि अतिथि गृह से प्राप्त समस्त आय सामान्य निधि में जमा की जायेगी एवं अतिथि गृह के रख–रखाव से सम्बन्धित सभी व्यय सामान्य निधि से किये जायेगें तथा उक्त के निमित्त विश्वविद्यालय के बजट वर्ष 2018–19 में 'अतिथि गृह रख–रखाव' के नाम से एक पृथक मद निर्धारित करते हुए बजट आवंटित किया जायेगा।

(ग) अतिथि गृह के लिए रू0 10,000/–(दस हजार रूपये मात्र) की स्थाई अग्रिम किये जाने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा प्रभारी, अतिथि गृह के लिए रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) की स्थाई अग्रिम अनुमन्य किया गया।

8. विभिन्न पाठ्यक्रमों जिनके लिए संबंद्धता शुल्क निर्धारित नहीं है से सम्बन्धित प्राप्त समस्त प्रस्तावों पर विचार।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग के प्रस्ताव पर विचार करते हुए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए सम्बद्धता शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी–

पाठ्यक्रम	निर्धारित सम्बद्धता शुल्क
1. पत्रकारिता (बी0जे0)	रू0 1,25,000 (रू0 एक लाख पच्चीस हजार)
2. बी0एस–सी0 (कृषि) (स्ववित्तपोषित योजना)	रू0 1,25,000 (रू0 एक लाख पच्चीस हजार)
3. बी0ए0 एम0एस0 (आयुर्वेद)	रू0 1,50,000 (रू0 एक लाख पचास हजार)

9. सम्बद्धता विभाग तथा अभियंत्रण विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुशल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखे जाने के संबंध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण न होने के फलस्वरूप अस्वीकार किए जाने की संस्तुति की गयी।

10. दीक्षा भवन में आडिटोरियम एवं संवाद भवन के किराये में वृद्धि पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रेक्षागृह और संवाद भवन के शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों हेतु बाहरी संस्थाओं और विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा प्रयोग हेतु लिए जाने वाले किराये का निर्धारण निम्नवत् किए जाने की संस्तुति की गयी।

प्रेक्षागृह–

(i) विभागीय कार्य हेतु पूर्व में निर्धारित किराया रू0 4000=00 (रू0 चार हजार) के स्थान पर रू0 12,000=00 (रू0 बारह हजार)+विद्युत/जनरेटर व्यय रू0 3,000=00 (रू0 तीन हजार) कुल रू0 15,000=00 (रू0 पन्द्रह हजार) प्रतिदिन देय होगा।

(ii) बाहरी संस्थाओं/व्यक्तियों के लिए पूर्व निर्धारित किराया रू0 34,000=00 (रू0 चौतिस हजार) के स्थान पर रू0 50,000=00 (रू0 पचास हजार)+विद्युत/जनरेटर व्यय रू0 3000=00 (रू0 तीन हजार) कुल व्यय रू0 53,000=00 (रू0 तिरपन हजार) प्रतिदिन देय होगा।

नोटः– सफाई के लिए रू0 1000=00 (रू0 एक हजार) अलग से देय होगा एवं काशनमनी के रूप में रू0 10,000=00 (रू0 दस हजार) देय होगा, जो कार्यक्रम के बाद वापस कर दिया जायेगा।

---4

संवाद भवनः–

(i) विभागीय कार्य हेतु पूर्व में निर्धारित किराया रू0 4000=00 (रू0 चार हजार) के स्थान पर रू0 8,000=00 (रू0 आठ हजार))+विद्युत/जनरेटर व्यय रू0 3,000=00 (रू0 तीन हजार) कुल रू0 11,000=00 (रू0 ग्यारह हजार) प्रतिदिन देय होगा।

(ii) बाहरी संस्थाओं/व्यक्तियों के लिए पूर्व में निर्धारित किराया रू0 24,000=00 (रू0 चौबीस हजार) के स्थान पर रू0 30,000=00 (रू0 तीस हजार)+विद्युत/जनरेटर व्यय रू0 3000=00 (रू0 तीन हजार) कुल व्यय रू0 33,000=00 (रू0 तैंतीस हजार) प्रतिदिन देय होगा।

नोटः– बाहरी व्यक्तियों के आवंटन के समय रू0 1,000=00 (रू0 एक हजार) सफाई के लिए अलग से देय होगा एवं काशनमनी के रू0 में रू0 10,000=00 (रू0 दस हजार) देय होगा, जो कार्यक्रम के बाद वापस कर दिया जायेगा।

11. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कार्य लिए जाने से सम्बन्धित कार्यपरिषद के निर्णय से अवगत होते हुए उक्त कर्मचारियों को देय मानदेय निर्धारित करने पर विचार।

वित्त समिति विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कार्य लिए जाने से सम्बन्धित कार्यपरिषद के निर्णय से अवगत हुई तथा समिति द्वारा उक्त कर्मचारियों के मानदेय निर्धारण के प्रकरण पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सेवा लेने हेतु उनकी सेवानिवृत्त तिथि को उनके प्राप्त वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाकर अवशेष धनराशि के बराबर मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी।

12. संयोजक, दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, गोरखपुर के प्रस्ताव दिनांक 15.11.2017 पर विचार।

वित्त समिति द्वारा समन्वयक/निदेशक दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह निश्चय किया गया कि दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के लिए शासन से प्राप्त अनुदानों को आहरित कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय के शासकीय खाते में रखा जायेगा तथा शासन के अनुदान–पत्र में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग किया जा सकेगा तथा शोध पीठ के वार्षिक आय–व्यय का आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा कराया जायेगा।

13. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय के शुल्क वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव दिनांक 08.05.2017 पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अधिष्ठाता शिक्षा संकाय के एम0एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारण के प्रकरण को शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति को संदर्भित किए जाने की संस्तुति की गयी।

14. समन्वयक, पी0जी0योग डिप्लोमा दर्शनशास्त्र विभाग के शुल्क वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

दर्शनशास्त्र विभाग द्वारा संचालित योग अध्ययन एवं अभ्यास केन्द्र के समन्वयक के शुल्क वृद्धि प्रस्ताव पर विचार करते हुए वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पी0जी0 योग डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निम्नवत् शुल्क निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी–

प्रवेश शुल्क	– रू0 6,000=00 (रू0 छः हजार)
परीक्षा शुल्क	– रू0 1,450=00 (रू0 एक हजार चार सौ पचास)
उपाधि शुल्क	– रू0 300=00 (रू0 तीन सौ)

शेष शुल्क पूर्ववत निर्धारित दर के अनुसार लिया जायेगा।

15. अध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग के पत्र दिनांक 24.08.2017 के आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कम्प्यूटर साइंस विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने के निमित्त विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर आगामी वित्त समिति की बैठक में विचारार्थ रखे जाने की संस्तुति की गयी।

– – 5

16. अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क वृद्धि प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम के शुल्क वृद्धि प्रस्ताव को शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति को संदर्भित किए जाने की संस्तुति की गयी।

17. जे0जे0जे0 इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा0लि0, गोरखपुर के पत्र दिनांक 09.01.2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्धारित दर में वृद्धि के सम्बन्ध में।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी जे0जे0जे0 इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी सर्विसेज (प्रा0) लि0, गोरखपुर को श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी पत्र सं0 47/-500/प्रवर्तन0-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 27.03.2017 के अनुपालन में विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों हेतु पुनरीक्षित दरों पर न्यूनतम मजदूरी अनुमन्य करते हुए भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।
देय पुनरीक्षित दरें निम्नवत् है-

क्र0सं0	श्रेणी	पुनरीक्षित मजदूरी
1.	अकुशल	रू0 7400.46
2.	अर्द्ध कुशल	रू0 8140.51
3.	कुशल	रू0 9118.66

18. उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, गोरखपुर के पत्र दिनांक 11.01.2018 पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यू0पी0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, गोरखपुर के पत्र दिनांक 11.01.2018 द्वारा सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा रात्रिकालीन ड्यूटी को चेक करने हेतु अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान की मॉग किये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने एवं अनुबन्ध की शर्तों के अधीन कार्य किए जाने की संस्तुति की गयी।

19. कर्मचारी संघ अध्यक्ष, श्री महेन्द्र नाथ सिंह के पत्र दिनांक 10.01.2018 द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कल्याण कोष के गठन पर विचार।
वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 17.01.2018 पर सम्यक विचार करते हुए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कल्याण कोष बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने तथा नियमावली के अधीन उक्त कोष का संचालन वर्ष 2018-19 (01 अप्रैल, 2018) से किये जाने की संस्तुति की गयी।

20. विश्वविद्यालय में उपाधि, माइग्रेशन, टी0सी0 तथा स्क्रुटनी शुल्क के वृद्धि में विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपाधि, माइग्रेशन, टी0सी0 तथा स्क्रुटनी शुल्क में निम्नवत् वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी-

	पूर्वदर	निर्धारित दर
1. उपाधि शुल्क	300=00	500=00
2. माइग्रेशन शुल्क	100=00	200=00
3. टी0सी0 शुल्क	100=00	200=00
4. स्क्रुटनी शुल्क	50=00	100=00
5. नामांकन शुल्क का विलम्ब शुल्क	03=00	50=00

21. विश्वविद्यालय में स्थानीय मुकदमों में अधिवक्ता को पैरवी हेतु भुगतान के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानीय मुकदमों की पैरवी पर होने वाले व्यय को विधि प्रकोष्ठ के विविध व्यय मद से किये जाने की संस्तुति की गयी।

22. प्रिन्स इलेक्ट्रीक वर्क्स, गोरखपुर के द्वारा कम्प्यूटर साइंस भवन में कापर वायरिंय के कराये गये कार्य के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रिन्स इलेक्ट्रिक वर्क्स, गोरखपुर के द्वारा कम्प्यूटर साइंस भवन में कापर वायरिंग के कराये गये कार्य सम्बन्धी लम्बित भुगतान के प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कराकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट से भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

...6

23. श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी पदेन सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 11.01.2018 के द्वारा पी0एच0डी0 शुल्क के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति द्वारा श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी पदेन सचिव उत्तर प्रदेश के पत्र सं0 320/7–जी0एस0/17– iii दिनांक 11.01.2018 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा लिए जा रहे पी–एच0डी0 शुल्क के संबंध में पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने तथा उक्त से राजभवन को सूचित किये जाने की संस्तुति की गयी।

24. अध्यक्ष, बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के पत्र दिनांक 18.01.2018 के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम सत्र 2017–18 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए वर्तमान मे महंगाई आदि को दृष्टिगत रखते हुए बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय/वेतन में निम्नवत् वृद्धि की संस्तुति गयी–

क्र0सं0	पद का नाम	वर्तमान मे प्राप्त वेतन/मानदेय	वृद्धि केफलस्वरूप देय वेतन/मानदेय
1.	स्टेनो कम एकाउन्टेंट	रू0 10500=00	रू0 12500=00
2.	कम्प्यूटर लैब सहायक	रू0 10500=00	रू0 12500=00

25. अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 17.01.2018 के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम सत्र 2017–18 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए वर्तमान में मंहगाई आदि को दृष्टिगत रखते हुए एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय/वेतन में निम्नवत् वृद्धि की संस्तुति की गयी–

क्र0सं0	पद का नाम	वर्तमान मे प्राप्त वेतन/मानदेय	वृद्धि केफलस्वरूप देय वेतन/मानदेय
1.	आशुलिपिक	रू0 15,000=00	रू0 17,000=00
2.	परिचर	रू0 7,500=00	रू0 9,000=00
3.	कार्यालय सहायक	रू0 10,500=00	रू0 12,500=00
4.	कम्प्युटर लैब सहायक	रू0 10,500=00	रू0 12,500=00
5.	वुक अटेण्डेण्ट	रू0 7,500=00	रू0 9,000=00
6.	स्वीपर	रू0 6,750=00	रू0 9,000=00

26. अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 17.01.2018 में कुल रू0 2,87,98,055/– के फिक्स डिपाजिट से प्राप्त व्याज को एम0बी0ए0 एस0एफ0एस0 खाते में स्थानान्तरित करने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को पोषणीय एवं औचित्य पूर्ण न होने के कारण अस्वीकार करते हुए पूर्व की भाँति फिक्सडिपोजिट से प्राप्त व्याज को मूलधन के साथ जोड़कर विनियोजित किए जाने की संस्तुति की गयी।

27. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार:–

(क) विश्वविद्यालय के अर्न्तविश्वविद्यालयीय/राज्यस्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले छात्रा खिलाडियों के शुल्क माफ किये जाने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के अर्न्तविश्वविद्यालयीय/राज्यस्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय एवं अन्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले छात्रा खिलाड़ियों के पूर्ण शुल्क माफ किए जाने की संस्तुति की गयी। उनके द्वारा विविध शुल्क के रूप में रू0 172/– (रू0 एक सौ बहत्तर मात्र) देय होगा। यह व्यवस्था कार्यपरिषद के अनुमोदन के पश्चात् सत्र 2017–18 से प्रभारी होगी एवं उक्त श्रेणी के शुल्क मुक्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव पर कुलपति जी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ख) पी0जी0 डिप्लोमा आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन के सत्र 2017–18 के बजट के अनुमोदन पर विचार।

वित्त समिति द्वारा पी0जी0 डिप्लोमा आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन के सत्र 2017–18 के बजट को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

--- 7

(ग) विद्युत सम्बन्धी अनुरक्षण कार्य के ए0एम0सी0 कराये जाने पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में विद्युत सम्बन्धी अनुरक्षण कार्यों को सूचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु नियमानुसार अनुमन्य प्रक्रिया के अन्तर्गत ए0एम0सी0 कराये जाने की संस्तुति की गयी। उक्त कार्य विश्वविद्यालय के अवर अभियन्ता (विद्युत) की देख–रेख में ए0एम0सी0 करने वाली फर्म करेगी।

(घ) विश्वविद्यालय में 'आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चियन प्रकोष्ठ' के लिए विश्वविद्यालय बजट में मद निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निश्चय किया गया कि आई0क्यू0ए0सी0 से सम्बन्धित आवश्यक व्यय पूर्व की भाँति प्राप्त राजकीय अनुदान से नियमानुसार किये जाय।

(ङ) गौतम बुद्ध छात्रावास में आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखे जाने के अभिरक्षक गौतम बुद्ध छात्रावास के प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय मे आउटसोर्सिंग के माध्यम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेन्सी जे0जे0जे0 इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी सर्विसेज, गोरखपुर के माध्यम से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गयी।

(च) विश्वविद्यालय अभियन्ता के स्थाई अग्रिम के संचालन पर विचार।
विश्वविद्यालय अभियन्ता का रिक्त होने के फलस्वरूप अभियन्त्रण विभाग के स्थाई अग्रिम का अवर अभियन्ता (विद्युत) द्वारा नियमानुसार संचालन एवं व्यय किये जाने की संस्तुति वित्त समिति द्वारा की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,गोरखपुर
(प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति